

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 67 of 2024

Sub.: Instructions on strict compliance w.r.t. financial sanction orders.

Attention is invited to the extant practice followed with respect to financial sanction order; it should be signed by an officer of the executive Department who is working on an equivalent or higher level post than the Finance officer countersigning the said order on behalf of Member Finance/Railway Board. However, instances have come to the notice in Board's office where this practice is not being followed despite the availability of suitable level officers in the Directorate. Exemption from this is permissible only in case of non-availability of suitable officer in the hierarchy.

- 2. All concerned are advised to follow the correct procedure w.r.t. financial sanction orders.
- 3. The above issues with the approval of the competent authority.

No.2024/O&M/2/7 Dated:07.11.2024 (T.Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board

Email id: <u>t.srinivas1@gov.in</u> Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

ED/FX

Copy to:-

EDPG/MR, JDPG/MoSR(S), Sectt. of MoSR(R)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 67

विषयः वित्तीय स्वीकृति आदेशों के संबंध में कड़ाई-पूर्वक अनुपालन हेतु अनुदेश।

आपका ध्यान वितीय स्वीकृति आदेश के संबंध में अपनाई जाने वाली मौजूदा कार्य-पद्धित की ओर आकर्षित किया जाता है; इस पर कार्यकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए जो सदस्य वित/रेलवे बोर्ड की ओर से उक्त आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले वित्त अधिकारी के समकक्ष या उच्चतर स्तर के पद पर कार्यरत हो। बहरहाल, बोर्ड कार्यालय में ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं जहां निदेशालय में उपयुक्त स्तर के अधिकारियों की उपलब्धता के बावजूद इस कार्य पद्धिति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पदानुक्रम में उपयुक्त अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में ही इससे छूट की अनुमित है।

- 2. सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वितीय स्वीकृति आदेशों के संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन करें।
- 3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/2/7

दिनांक: 07.11.2024

(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

टेलीफोन नं. 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि स्चनार्थः

कार्यपालक निदेशक/एफएक्स

प्रतिलिपि प्रेषित:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), रेल राज्य मंत्री (आर) का सचिवालय